

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
प्रस्तावित रोस्टर
विश्वविद्यालय के विभाग
आचार्य

क्रम संख्या	विभाग नाम	पद	पद क्रमांक	REG.	कार्यरत एवं रिक्त
1.	आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान (भाषा विज्ञान)	1	1.	SC	प्रो. देवी प्रसाद द्विवेदी
2.	ज्योतिष	1	2.	GEN	रिक्त
3.	तुलनात्मक धर्म दर्शन (दर्शन)	1	3.	OBC	रिक्त
4.	न्याय वैशेषिक	1	4.	GEN	प्रो. राम पूजन पाण्डेय
5.	पालि एवं थेरवाद	1	5.	SC	रिक्त
6.	पुराणेतिहास	1	6.	GEN	प्रो० गंगाधर पण्डा
7.	प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र	1	7.	OBC	रिक्त
8.	बौद्ध दर्शन	1	8.	GEN	रिक्त
9.	वेद	1	9.	OBC	रिक्त
10.	वेदान्त	1	10.	EWS	प्रो. राम किशोर त्रिपाठी
11.	प्रा. व्याकरण	1	11.	SC	रिक्त
	व्याकरण	1	12.	GEN	रिक्त
12.	शिक्षाशास्त्र	1	13.	OBC	रिक्त
13.	सांख्य योग तन्त्र आगम	1	14.	GEN	रिक्त
14.	साहित्य	1	15.	SC	रिक्त

1. उक्त वर्णानुक्रम संस्कृत हिन्दी कोश, वामन शिवराम आपटे, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्रा. लि. (पुनर्मुद्रण - 1993) के आधार पर किया गया है।

[Signature]
04-12-19

[Signature]
04-12-19

[Signature]
08/12/19

**विश्वविद्यालय के विभाग
सह आचार्य**

क्र.सं.	विभाग नाम	पद	पद क्रमांक	REG	कार्यरत एवं रिक्त	
1.	आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान (भाषा विज्ञान - स्ट्रक्चरल)	1	1.	SC	रिक्त	
2.	ज्योतिष (खगोलशास्त्र/एस्ट्रोनामी)	1	2	GEN	रिक्त	
3.	प्राकृत एवं जैनागम	1	3.	OBC	प्रो. हरि शंकर पाण्डेय	
4.	बौद्ध दर्शन	1	4.	GEN	प्रो. रमेश कुमार द्विवेदी	
5.	वेदान्त (शाङ्करवेदान्त)	1	5.	SC	रिक्त	
6.	व्याकरण	प्रा. व्याकरण	1	6.	GEN	रिक्त
		न. व्याकरण	1	7.	OBC	रिक्त
7.	शिक्षाशास्त्र (संस्कृत शिक्षण)	1	8.	GEN	प्रो. प्रेम नारायण सिंह	
8.	साहित्य	1	9.	OBC	रिक्त	

1. उक्त वर्णानुक्रम संस्कृत हिन्दी कोश, वामन शिवराम आपटे, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्रा. लि. (पुनर्मुद्रण - 1993) के आधार पर किया गया है।

[2]

04/12/19

सुधाकर मिश्र
05/12/19

**विश्वविद्यालय के विभाग
सहायक आचार्य**

क्र.सं.	विभाग नाम	पद	पद क्रमांक	GEN	विषय	कार्यरत एवं रिक्त
1.	आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान	1-13	1.	SC	अंग्रेजी	रिक्त
		2	2.	GEN	अंग्रेजी	प्रो. कृष्ण चन्द्र दूबे
		3	3.	OBC	अंग्रेजी	रिक्त
		4	4.	GEN	जर्मन	रिक्त
		5	5.	SC	तिब्बती	रिक्त
		6	6.	GEN	नेपाली	रिक्त
		7	7.	OBC	प्राचीन फारसी	रिक्त
		8	8.	GEN	फेंच	रिक्त
		9	9.	OBC	भाषा विज्ञान ग्रीक लैटिन	रिक्त
		10	10.	EWS	भाषा विज्ञान हिस्टारिकल	रिक्त
		11	11.	SC	रूसी	रिक्त
		12	12.	GEN	हिन्दी	रिक्त
		13	13.	OBC	हिन्दी	डॉ. विद्या कुमारी चन्द्रा
2.	ग्रन्थालय विज्ञान	1-1	14.	GEN	ग्रन्थालय विज्ञान	प्रो. हीरक कान्ति चक्रवर्ती
3.	जैन दर्शन	1-1	15.	SC	जैन दर्शन	रिक्त
4.	ज्योतिष	1-5	16.	GEN	ज्योतिष	रिक्त
		2	17.	OBC	ज्योतिष गणित	रिक्त
		3	18.	GEN	ज्योतिष फलित	रिक्त
		4	19.	OBC	ज्योतिष सिद्धान्त	रिक्त
		5	20.	EWS	ज्योतिष सिद्धान्त	प्रो० सदानन्द शुक्ल
5.	तुलनात्मक धर्म दर्शन	1-2	21.	SC	तुलनात्मक दर्शन	प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल
		2	22.	GEN	तुलनात्मक दर्शन	प्रो. हरि प्रसाद अधिकारी
6.	धर्म शास्त्र	1-1	23.	OBC	धर्म शास्त्र	रिक्त

1. उक्त वर्णानुक्रम संस्कृत हिन्दी कोश, वामन शिवराम आप्टे, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्रा. लि. (पुनर्मुद्रण - 1993) के आधार पर किया गया है।

[3]

04.12.19

en

04.12.19

मुनाकर मिश्र
04/12/19

7.	न्याय-वैशेषिक	1-3	24.	GEN	न्याय-वैशेषिक	रिक्त
		2	25.	SC	न्याय-वैशेषिक	रिक्त
		3	26.	GEN	न्याय-वैशेषिक	रिक्त
8.	पालि एवं थेरवाद	1-2	27.	OBC	पालि	प्रो. रमेश प्रसाद
		2	28.	GEN	पालि	प्रो. हर प्रसाद दौक्षित
9.	पुराणेतिहास	1-4	29.	OBC	पुराणेतिहास	रिक्त
		2	30.	EWS	पुराणेतिहास	प्रो. आशुतोष मिश्र
		3	31.	SC	पुराणेतिहास	रिक्त
		4	32.	GEN	पुराणेतिहास	प्रो. शशि रानी मिश्रा
10.	पूर्व मीमांसा	1-1	33.	OBC	पूर्व मीमांसा	प्रो. कमला कान्त त्रिपाठी
11.	प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र	1-5	34.	GEN	प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र	प्रो० हेतराम कछवाह
		2	35.	SC	प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र	रिक्त
		3	36.	GEN	प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र	डॉ. दिनेश कुमार गर्ग
		4	37.	OBC	प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र	रिक्त
		5	38.	GEN	प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र	रिक्त
12.	बौद्ध दर्शन	1-1	39.	OBC	बौद्ध दर्शन	रिक्त
13.	विज्ञान	1-3	40.	EWS	गृहविज्ञान	प्रो. विधु द्विवेदी
		2	41.	SC	विज्ञान	रिक्त
		3	42.	GEN	विज्ञान	प्रो. जितेन्द्र कुमार
14.	वेद	1-4	43.	OBC	अथर्ववेद	रिक्त
		2	44.	GEN	ऋग्वेद	रिक्त
		3	45.	SC	शुक्लयजुर्वेद	प्रो. महेन्द्र पाण्डेय
		4	46.	GEN	सामवेद	रिक्त
15.	वेदान्त	1-4	47.	ST	मध्व वेदान्त	रिक्त
		2	48.	GEN	रामानन्द वेदान्त	प्रो. शम्भू नाथ शुक्ल
		3	49.	SC	रामानुज वेदान्त	रिक्त
		4	50.	EWS	वल्लभ वेदान्त	प्रो. सुधाकर मिश्र

1. उक्त वर्णानुक्रम संस्कृत हिन्दी कोश, वामन शिवराम आपटे, मोतीलाल बनारसीदास प्रब्लिशर्स प्रा. लि. (पुनर्मुद्रण - 1993) के आधार पर किया गया है।

16.	व्याकरण	1-7	51.	OBC	प्रा. व्याकरण	रिक्त
		2	52.	GEN	प्रा. व्याकरण	रिक्त
		3	53.	SC	न. व्याकरण	रिक्त
		4	54.	GEN	न. व्याकरण	रिक्त
		5	55.	OBC	न. व्याकरण	रिक्त
		6	56.	GEN	न. व्याकरण	रिक्त
		7	57.	OBC	न. व्याकरण	रिक्त
17.	शारीरिक शिक्षा*	1-1	58.	GEN	शारीरिक शिक्षा	श्री लाल जी मिश्र
18.	शिक्षाशास्त्र	1-7	59.	SC	शिक्षाशास्त्र	रिक्त
		2.	60.	EWS	शिक्षाशास्त्र	रिक्त
		3	61.	OBC	शिक्षाशास्त्र	रिक्त
		4	62.	GEN	शिक्षाशास्त्र	डॉ. विशाखा शुक्ला
		5	63.	SC	शिक्षाशास्त्र	रिक्त
		6	64.	GEN	शिक्षाशास्त्र (मनोविज्ञान)	रिक्त
		7.	65.	OBC	शिक्षाशास्त्र	रिक्त
19.	संस्कृत विद्या	1-4	66.	GEN	संस्कृत विद्या	डॉ. रवि शंकर पाण्डेय
		2	67.	OBC	संस्कृत विद्या	रिक्त
		3	68.	GEN	संस्कृत विद्या	रिक्त
		4	69.	SC	संस्कृत विद्या	रिक्त
20.	सांख्य योग तन्त्र आगम	1-8	70.	EWS	आगम	रिक्त
		2	71.	OBC	योगतन्त्र	रिक्त
		3	72.	GEN	योगतन्त्र	प्रो. राघवेंद्र जी दूबे
		4	73.	SC	योगतन्त्र	रिक्त
		5	74.	GEN	योगतन्त्र	रिक्त
		6	75.	OBC	योगतन्त्र	रिक्त
		7	76.	GEN	शैवागम	रिक्त
		8	77.	OBC	सांख्ययोग	प्रो. ललित कुमार चौबे
21.	सामाजिक विज्ञान	1-4	78.	GEN	अर्थशास्त्र	प्रो. राजनाथ
		2	79.	SC	प्राचीन इतिहास	प्रो. दुर्गा नन्दन तिवारी

1. उक्त वर्णानुक्रम संस्कृत हिन्दी कोश, वामन शिवराम आपटे, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्रा. लि. (पुनर्मुद्रण - 1993) के आधार पर किया गया है।

*यह पद अभी किसी विभाग के अन्तर्गत नहीं है। [5]

04/12/19

En

04/12/19

सुभाकर मिश्र
04/12/19

					पुरालत्व (इपीग्राफी)	
		3	80.	EWS	प्राचीन इतिहास	रिक्त
		4	81.	OBC	राजशास्त्र	प्रो. शैलेश कुमार मिश्र
22.	साहित्य	1-7	82.	GEN	संगीत गायन	रिक्त
		2	83.	SC	संगीत तबला	रिक्त
		3	84.	GEN	संगीत सितार	रिक्त
		4	85.	OBC	साहित्य	रिक्त
		5	86.	GEN	साहित्य	डॉ. विजय कुमार पाण्डेय
		6	87.	OBC	साहित्य	रिक्त
		7	88.	GEN	साहित्य	रिक्त

1. उक्त वर्णानुक्रम संस्कृत हिन्दी कोश, वामन शिवराम आप्टे, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्रा. लि. (पुनर्मुद्रण - 1993) के आधार पर किया गया है।

०५/१२/१९

मुन्नाकर मिश्र
०५/१२/१९

प्रेषक,

आर० रमेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 02 सितंबर, 2019

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षिक पदों पर आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

सम्बन्धित विषय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पृथक तथा एसोसिएट प्रोफेसर के पदों हेतु पृथक विभाग को इकाई मानते हुए आरक्षण लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-06/2015-916/सत्तर-1-2015-17(13)/1995 टी०सी० दिनांक 30 नवम्बर, 2015 तथा शासनादेश संख्या-04/2016-239/सत्तर-1-2016-17(13)/1995 टी०सी० दिनांक 19 फरवरी, 2016 द्वारा आदेश निर्गत किये गये थे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के पदों हेतु पृथक विषय को इकाई मानते हुए आरक्षण लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-411/सत्तर-1-2003-17(13)/1995 दिनांक 26 मई, 2003 द्वारा आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- भारत सरकार द्वारा 'केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019' में सीधी भर्ती के प्रकृत केंद्रीय विश्वविद्यालय/संस्था को इकाई मानते हुए आरक्षण लागू किया गया है।

3- 'केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019' के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालय को 'इकाई' मानते हुए सीधी भर्ती के प्रकृत पर आरक्षण लागू किये जाने का निर्णय लिया गया ताकिम में कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आरक्षण के सम्बन्ध में निर्धारित की गयी नीति के अनुरूप उत्तर प्रदेश आर अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) में प्राविधानित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप कमजोर वर्गों के लिये सज्जाधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रकृत पर क्रमशः 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 27 प्रति एवं 10 प्रतिशत आरक्षण तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/1/2002/का-2/2019 टी०सी० दिनांक 13-8-2019 के माध्यम सीधी भर्ती के प्रकृत पर 100 बिन्दुओं का रोस्टर लागू होगा। कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत 100 बिन्दुओं के तहत आरक्षण से जो उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के विभागों के नाम को हिन्दी वर्णमाला के वर्गानुक्रम अर्थात् अ, आ, इ, ई के में व्यवस्थित करते हुए लागू किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षिक पदों पर आरक्षण के सम्बन्ध में निर्गत किये गये उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-06/2015-916/सत्तर-1-2015-17(13)/1995 टी०सी० दिनांक 30 नवम्बर, 2015, शासनादेश संख्या-04/2016-239/सत्तर-1-2016-17(13)/1995 टी०सी० दिनांक 19 फरवरी, 2016 तथा शासनादेश संख्या-411/सत्तर-1-2003-17(13)/1995 दिनांक 26 मई, 2003 अवकथित समझे जायेंगे।

भवदीय,
(आर० रमेश कुमार)
सचिव

संख्या-977(1)/सत्तर-1-2019 तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (2) अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- (4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (5) सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (6) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- (7) कार्मिक अनुभाग-2
- (8) उच्च शिक्षा के समस्त अनुभाग।
- (9) मार्ग फाइल।

आज्ञा से,
(हरेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1

लखनऊ, दिनांक : 13 अगस्त, 2019

कार्यालय-जाप

कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चिन्हांकित आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु 100 बिन्दुओं का रोस्टर निर्गत किया गया है। कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-जाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.2, दिनांक 18.02.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रदेश में लागू रोस्टर प्रणाली में आयी कठिनाईयों के दृष्टिगत 100 बिन्दुओं का निर्गत रोस्टर व्यवस्था में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के आधार पर रोस्टर प्रणाली में संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है। अतः रोस्टर व्यवस्था के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 को कार्यालय-जाप दिनांक 18.02.2019 के अनुक्रम में संशोधित करते हुए आरक्षण को लागू करने के लिए एतद्वारा निम्नवत् रोस्टर प्रणाली जारी किया जाता है:-

- 1- अनुसूचित जाति
- 2- अनारक्षित
- 3- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 4- अनारक्षित
- 5- अनुसूचित जाति
- 6- अनारक्षित
- 7- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 8- अनारक्षित
- 9- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 10- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

- 11- अनुसूचित जाति
- 12- अनारक्षित
- 13- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 14- अनारक्षित
- 15- अनुसूचित जाति
- 16- अनारक्षित
- 17- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 18- अनारक्षित
- 19- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 20- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- 21- अनुसूचित जाति
- 22- अनारक्षित
- 23- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 24- अनारक्षित
- 25- अनुसूचित जाति
- 26- अनारक्षित
- 27- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 28- अनारक्षित
- 29- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 30- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- 31- अनुसूचित जाति
- 32- अनारक्षित
- 33- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 34- अनारक्षित
- 35- अनुसूचित जाति
- 36- अनारक्षित
- 37- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 38- अनारक्षित
- 39- अन्य पिछड़ा वर्ग

1- यह शासनदेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनदेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 40- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
 41- अनुसूचित जाति
 42- अनारक्षित
 43- अन्य पिछड़ा वर्ग
 44- अनारक्षित
 45- अनुसूचित जाति
 46- अनारक्षित
 47- अनुसूचित जनजाति
 48- अनारक्षित
 49- अनुसूचित जाति
 50- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
 51- अन्य पिछड़ा वर्ग
 52- अनारक्षित
 53- अनुसूचित जाति
 54- अनारक्षित
 55- अन्य पिछड़ा वर्ग
 56- अनारक्षित
 57- अन्य पिछड़ा वर्ग
 58- अनारक्षित
 59- अनुसूचित जाति
 60- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
 61- अन्य पिछड़ा वर्ग
 62- अनारक्षित
 63- अनुसूचित जाति
 64- अनारक्षित
 65- अन्य पिछड़ा वर्ग
 66- अनारक्षित
 67- अन्य पिछड़ा वर्ग
 68- अनारक्षित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 69- अनुसूचित जाति
 70- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
 71- अन्य पिछड़ा वर्ग
 72- अनारक्षित
 73- अनुसूचित जाति
 74- अनारक्षित
 75- अन्य पिछड़ा वर्ग
 76- अनारक्षित
 77- अन्य पिछड़ा वर्ग
 78- अनारक्षित
 79- अनुसूचित जाति
 80- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
 81- अन्य पिछड़ा वर्ग
 82- अनारक्षित
 83- अनुसूचित जाति
 84- अनारक्षित
 85- अन्य पिछड़ा वर्ग
 86- अनारक्षित
 87- अन्य पिछड़ा वर्ग
 88- अनारक्षित
 89- अनुसूचित जाति
 90- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
 91- अन्य पिछड़ा वर्ग
 92- अनारक्षित
 93- अनुसूचित जाति
 94- अनारक्षित
 95- अन्य पिछड़ा वर्ग
 96- अनारक्षित
 97- अनुसूचित जनजाति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जासी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2- इस शासनादेश की प्रमापिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 98- अनारक्षित
 99- अनुसूचित जाति
 100- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

मुकुल सिंहल
 अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2019(1)/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
- 3) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 5) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 6) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
- 7) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
- 8) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 9) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
- 10) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 11) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

अरविन्द मोहन चित्राशी
 विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2- इस शासनादेश को प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanaidesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।